

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII(1)/2019-115/2013
देहरादून: दिनांक: 26 जुलाई, 2019
कार्यालय आदेश

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार निर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2017 तथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित वेतनमान (बशर्ते पुनरीक्षित वेतनमानों के समकक्ष पुराने वेतनमान स्वीकृत हों) के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति का वेतनमान निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1.	वेतन	-	₹ 2,10,000
2.	महगाई भत्ता	-	नियमानुसार
3.	विशेष वेतन भत्ता	-	₹ 5,000

2- हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति को पूर्व में यदि प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) अनुमन्य था तथा सातवें वेतन आयोग में यू0जी0सी0 की संस्तुति में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) अनुमन्य है, तो तदनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) के संबंध में कार्यवाही करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र सं0-137/XXVIII(10)/2019 दिनांक 18 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या-566 /XXVIII(1)/2019-115/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनुसचिव